रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25032022-234468
CG-DL-E-25032022-234468

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 25, 2022/ चैत्र 4, 1944
No. 155] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 25, 2022/ CHAITRA 4, 1944

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2022

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (चौदहवां संशोधन) विनियम, 2022 (2022 का 01)

सं. RG-16/2/(1)/2022-AP.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 10 की उप-धारा (1) तथा धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2001 (2001 का 2) में और संशोधन करने के लिए एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात-

1. (1) इन विनियमों को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति) (चौदहवां संशोधन) विनियम, 2022 कहा जाएगा।

   (2) यह विनियम अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगा।

2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2001 (जिसे यहाँ पर 'मूल विनियम' कहा जाएगा), के विनियम 14 के अंतर्गत उप-विनियम (III), तालिका ख में, कॉलम "श्रेणी/पद" में ....

(क) प्रविष्टि "ड्राइवर (ग्रेड-I) ड्राइवर (ग्रेड-II)" के स्थान पर प्रविष्टि "स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी)/स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी -I)/स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी -II)/स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी)" प्रतिस्थापित किया जाएगा; और

(ख) प्रविष्टि "परिचर (अटेंडेंट)" के लिए प्रविष्टि "बहु-कार्य कर्मचारिवृंद (एम.टी.एस.)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. मुख्य विनियम 16 के उप-विनियम (i) में तालिका में कॉलम "पद का नाम" में ....

(क) "अवर श्रेणी लिपिक" के बाद, प्रविष्टि "स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी)" को जोड़ा जाएगा और इस प्रकार "स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी)" के स्थान पर, कॉलम "भर्ती की पद्धति" के अंतर्गत प्रविष्टि "पदोन्नति" और कॉलम "योग्यता/अनुभव" के अंतर्गत प्रविष्टि "जैसा अनुसूची-II में दिया गया है" जोड़ा जाएगा।

(ख) प्रविष्टि "ड्राइवर (ग्रेड-I)" के लिए प्रविष्टि "स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी -I)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा और इस प्रकार प्रतिस्थापित "स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी -I)" के स्थान पर कॉलम "भर्ती की पद्धति" के अंतर्गत प्रविष्टि "पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती" के लिए प्रविष्टि "पदोन्नति" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) प्रविष्टि "ड्राइवर (ग्रेड-II)" के लिए प्रविष्टि "स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा और इस प्रकार प्रतिस्थापित "स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II)" के पद के स्थान पर, कॉलम "भर्ती की पद्धति" के अंतर्गत प्रविष्टि "पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती" के लिए प्रविष्टि "पदोन्नति" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) प्रविष्टि "स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II)" के बाद प्रविष्टि "स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी)" को जोड़ा जाएगा और इस प्रकार प्रतिस्थापित "स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी) पद के स्थान पर, कॉलम "भर्ती का तरीका" के अंतर्गत, प्रविष्टि "पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती" और कॉलम "योग्यता/अनुभव" के अंतर्गत प्रविष्टि "जैसा कि अनुसूची-II में दिया गया है" को जोड़ा जाएगा; और

(ड़) प्रविष्टि "परिचर (अटेंडेंट)" के लिए प्रविष्टि "बहु-कार्य कर्मचारिवृंद (एम.टी.एस.)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

4. मूल विनियमों की अनुसूची-II में, 'पद का नाम' कॉलम के अंतर्गत ----

(क) "अवर श्रेणी लिपिक" प्रविष्टि के बाद, "स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी)" प्रविष्टि को जोड़ा जाएगा और इस प्रकार जोड़े गए "स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी)" पद के स्थान पर-----

(i) कॉलम 'भर्ती की पद्धति' के अंतर्गत, प्रविष्टि 'पदोन्नति'

(ii) 'सीधी भर्ती के लिए योग्यता और अनुभव' कॉलम के अंतर्गत, प्रविष्टि 'लागू नहीं';

(iii) 'पदोन्नति के लिए सेवा की अवधि' कॉलम के तहत, प्रविष्टि 'सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-5 में स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-I) में तीन साल की नियमित सेवा वाले कर्मचारियों में से पदोन्नति'.

(iv) 'प्रतिनियुक्ति के लिए योग्यता और अनुभव' कॉलम के अंतर्गत, प्रविष्टि 'लागू नहीं'; तथा

(v) कॉलम 'सीधी भर्ती के लिए आयु' के अंतर्गत, प्रविष्टि 'लागू नहीं' ---

को जोड़ा जाएगा।

(ख) प्रविष्टि "ड्राइवर (ग्रेड-I)" के लिए, प्रविष्टि "स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-I)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा और इस प्रकार जोड़े गए "स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-I)" पद के स्थान पर-------

(i) कॉलम "भर्ती की पद्धति" के अंतर्गत, "पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती" प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "पदोन्नति";

(ii) कॉलम "सीधी भर्ती के लिए योग्यता और अनुभव" के अंतर्गत, प्रविष्टि "(i) 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण, (ii) मोटर कारों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, (iii) वाहन का तकनीकी ज्ञान (वाहन में मामूली खराबी को दूर करने में सक्षम होना चाहिए), (iv) बारह साल के लिए मोटर कार चलाने का अनुभव" के लिए, प्रविष्टि "लागू नहीं";

(iii) "पदोन्नति के लिए सेवा की अवधि" कॉलम के अंतर्गत, प्रविष्टि "ड्राइवर ग्रेड-II" में नौ साल की नियमित सेवा के साथ 3,050-75-4,590 रुपए वेतनमान वाले कर्मचारियों के बीच से पदोन्नति" के लिए प्रविष्टि "उन कर्मचारियों में से पदोन्नति जिन्होंने (i) सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-4 में स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II) में या तो छह साल की नियमित सेवा पूरी कर ली है या स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II) और स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी) में पंद्रह साल की संयुक्त सेवा और (ii) सरकार द्वारा निर्दिष्ट ट्रेड टेस्ट पास किया है";

(iv) "प्रतिनियुक्ति के लिए योग्यता और अनुभव" कॉलम के अंतर्गत, प्रविष्टि "केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और वैधानिक और स्वायत्त निकाय के कर्मचारी जो समकक्ष पद पर कार्य कर रहे हैं या स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II) के रूप में नौ साल की नियमित सेवा के साथ, जिनके पास निम्नलिखित योग्यताएं हैं:- (i) 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण (ii) मोटर कारों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस (iii) वाहन का तकनीकी ज्ञान (वाहन में मामूली खराबी को दूर करने में सक्षम होना चाहिए) के लिए प्रविष्टि "लागू नहीं"; तथा

(v) "सीधी भर्ती के लिए आयु" कॉलम के अंतर्गत प्रविष्टि "45 वर्ष से अधिक नहीं" के लिए प्रविष्टि "लागू नहीं" ---

को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) प्रविष्टि "ड्राइवर (ग्रेड-II)" के लिए प्रविष्टि "स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा और इस प्रकार से प्रतिस्थापित "स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II)" पद के स्थान पर----

(i) कॉलम "भर्ती की पद्धति" के अंतर्गत प्रविष्टि, "पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती" के लिए, प्रविष्टि "पदोन्नति";

(ii) कॉलम "सीधी भर्ती के लिए योग्यता और अनुभव" के अंतर्गत प्रविष्टि "(i) 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण, (ii) मोटर कारों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, (iii) वाहन का तकनीकी ज्ञान (वाहन में मामूली खराबी को दूर करने में सक्षम होना चाहिए), (iv) तीन साल के लिए मोटर कार चलाने का अनुभव", के लिए प्रविष्टि "लागू नहीं";

(iii) "पदोन्नति के लिए सेवा की अवधि" कॉलम के अंतर्गत, प्रविष्टि "परिचर (अटेंडेंट)" जिसके पास निम्नलिखित योग्यताएँ हैं- (i) 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण, (ii) मोटर कारों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, (iii) वाहन का तकनीकी ज्ञान (वाहन में मामूली खराबी को दूर करने में में सक्षम होना चाहिए) और (iv) तीन साल के लिए मोटर कार चलाने का अनुभव" के लिए प्रविष्टि "उन कर्मचारियों में से पदोन्नति जिन्होनें सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-2 में स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी) के रूप में नौ वर्ष की सेवा पूरी की हो और सरकार द्वारा निर्दिष्ट ट्रेड टेस्ट पास किया हो";

(iv) "प्रतिनियुक्ति के लिए योग्यता और अनुभव" कॉलम के अंतर्गत, प्रविष्टि के लिए "केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और वैधानिक और स्वायत्त निकाय के कर्मचारी जो समकक्ष पद पर कार्य कर रहे हैं या "स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II)" के रूप में 9 साल की नियमित सेवा के साथ, जिनके पास निम्नलिखित योग्यताएं हैं:- (i) 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण (ii) मोटर कारों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस (iii) वाहन का तकनीकी ज्ञान (वाहन में मामूली खराबी को दूर करने में सक्षम होना चाहिए)", प्रविष्टि "लागू नहीं"; तथा

(v) "सीधी भर्ती के लिए आयु" कॉलम के अंतर्गत प्रविष्टि "40 वर्ष से अधिक नहीं" के लिए प्रविष्टि "लागू नहीं" ----

को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) "स्टाफ कार ड्राइवर(श्रेणी-II)" प्रविष्टि के बाद "स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी)" प्रविष्टि को जोड़ा जाएगा और इस प्रकार जोड़े गए "स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी)" पद के स्थान पर, ---

(i) कॉलम "भर्ती की पद्धति" के अंतर्गत, प्रविष्टि "पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती";

(ii) कॉलम "सीधे भर्ती के लिए योग्यता और अनुभव" के अंतर्गत, प्रविष्टि "(i) 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण, (ii) मोटर कारों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, (iii) वाहन का तकनीकी ज्ञान (वाहन में मामूली खराबी को दूर करने में सक्षम होना चाहिए) और (iv) तीन साल के लिए मोटर कार चलाने का अनुभव";

(iii) "पदोन्नति के लिए सेवा की अवधि" के अंतर्गत प्रविष्टि "बहु-कार्य कर्मचारिवृंद (एम.टी.एस.)" जिनके पास निम्नलिखित हैं - (i) 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण (ii) मोटर कारों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस, (iii) वाहन का तकनीकी ज्ञान (वाहन में मामूली खराबी को दूर करने में सक्षम होना चाहिए) और (iv) तीन साल के लिए मोटर कार चलाने का अनुभव"

(iv) "प्रतिनियुक्ति के लिए योग्यता और अनुभव" कॉलम के अंतर्गत, प्रविष्टि "केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और वैधानिक और स्वायत्त निकाय के कर्मचारी जो समकक्ष पद धारण करते हैं या "बहु-कार्य कर्मचारिवृंद (एम.टी.एस.)" जिनके पास निम्नलिखित हैं - (i) 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण (ii) मोटर कारों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस, (iii) वाहन का तकनीकी ज्ञान (वाहन में मामूली खराबी को दूर करने में सक्षम होना चाहिए, और (iv) तीन साल के लिए मोटर कार चलाने का अनुभव"; तथा

(v) कॉलम "सीधी भर्ती के लिए आयु" के अंतर्गत, प्रविष्टि "चालीस वर्ष से अधिक नहीं"---

को जोड़ा जाएगा;

(ङ) प्रविष्टि "परिचर (अटेंडेंट)" के लिए, प्रविष्टि “बहु-कार्य कर्मचारिवृंद (एम.टी.एस.)” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

5. मूल विनियमों की अनुसूची III में, "पद का नाम" कॉलम के अंतर्गत ---

(क) मद संख्या 10 में प्रविष्टि, "ड्राइवर (ग्रेड-I) ड्राइवर (ग्रेड-II)" के लिए, प्रविष्टि "स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी) / स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-I) / स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II))/स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी)” को प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ख) मद संख्या 11 में, प्रविष्टि "परिचर (अटेंडेंट)" के स्थान पर, प्रविष्टि “बहु-कार्य कर्मचारिवृंद (एम.टी.एस.)” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

वंदना सेठी, सलाहकार(प्रशासन एवं आईआर)

[विज्ञापन-III/4/असा./710/2021-22]

नोट : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या 5-4/2000 (ए एंड एल) दिनांक 15 फरवरी, 2001 द्वारा प्रकाशित हुआ था और इसमें तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए थे:

1. 1-6/2002-A&L दिनांक 22 जनवरी, 2004
2. 5-4/2000-A&L (Vol.I) दिनांक 11 मई, 2004
3. 5-4/2000-A&L (Vol.II) दिनांक 17 जून, 2004
4. 5-4/2000-A&P (Vol.II) दिनांक 10 मई, 2005
5. 5-4/2000-A&P (Vol.II) दिनांक 26 मई, 2006
6. 5-4/2000-A&P (Vol.II) दिनांक 9 अक्तूबर, 2006
7. 5-4/2000-A&P दिनांक 31 दिसंबर, 2008
8. 5-4/2005-A&P दिनांक 20 मार्च, 2009
9. 5-4/2000-A&P दिनांक 23 अप्रैल, 2010
10. 5-4/2000-A&P दिनांक 14 जुलाई, 2010
11. 5-4/2000-A&P दिनांक 8 जून, 2016
12. 5-4/2000-A&P दिनांक 27 जुलाई, 2017
13. 5-4/2000-A&P दिनांक 21 मई, 2020

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2022

THE TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA (OFFICERS AND STAFF APPOINTMENT) (FOURTEENTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2022

(No. 1 of 2022)

No. RG-16/2/(1)/2022-AP.—In exercise of the powers conferred by section 36, read with sub-section (1) of section 10, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) Regulation, 2001 (2 of 2001), namely:-

1. (1) These regulations may be called the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) (Fourteenth Amendment) Regulations, 2022.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 14 of the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) Regulation, 2001 (hereinafter referred to as the "principal regulations"), in sub-regulation (iii), in Table B, under the column "Grade/post", ---

(a) for the entry "Driver (Grade I) Driver (Grade II)", the entry "Staff Car Driver (Special Grade)/Staff Car Driver (Grade-I)/Staff Car Driver (Grade-II)/Staff Car Driver (Ordinary Grade)" shall be substituted; and

(b) for the entry "Attendant", the entry "Multi Tasking Staff" shall be substituted.

3. In regulation 16 of the principal regulations, in sub-regulation (i), in the Table, under the column "Name of the Post", ---

(a) after the entry "Lower Division Clerk", the entry "Staff Car Driver (Special Grade)" shall be inserted and against the post "Staff Car Driver (Special Grade)" so inserted, under the column "Mode of recruitment", the entry "Promotion" and under the column "Qualification/ Experience", the entry "As in Schedule-II" shall be inserted;

(b) for the entry "Driver (Grade I)", the entry "Staff Car Driver (Grade-I)" shall be substituted and against the post "Staff Car Driver (Grade-I)" so substituted, under the column "Mode of recruitment", for the entry "Promotion/Deputation/Absorption/ Direct Recruitment", the entry "Promotion" shall be substituted;

(c) for the entry "Driver (Grade II)", the entry "Staff Car Driver (Grade-II)" shall be substituted and against the post "Staff Car Driver (Grade-II)" so substituted, under the column "Mode of recruitment", for the entry "Promotion/Deputation/Absorption/ Direct Recruitment", the entry "Promotion" shall be substituted;

(d) after the entry "Staff Car Driver (Grade-II)", the entry "Staff Car Driver (Ordinary Grade)" shall be inserted and against the post "Staff Car Driver (Ordinary Grade)" so inserted, under the column "Mode of recruitment", the entry "Promotion/Deputation/ Absorption/Direct Recruitment" and under the column "Qualification/Experience", the entry "As in Schedule-II" shall be inserted; and

(e) for the entry "Attendant", the entry "Multi Tasking Staff" shall be substituted.

4. In Schedule-II to the principal regulations, under the column "Name of Post", ---

(a) after the entry "Lower Division Clerk", the entry "Staff Car Driver (Special Grade)" shall be inserted and against the post "Staff Car Driver (Special Grade)" so inserted, ---

(i) under the column "Mode of Recruitment", the entry "Promotion";

(ii) under the column "Qualification & experience for Direct Recruit", the entry "Not Applicable";

(iii) under the column "Length of service for promotion", the entry "Promotion from amongst the officials with three years of regular service in the Staff Car Driver (Grade-I) in Pay Level – 5 of the Seventh Central Pay Commission";

(iv) under the column "Qualification and experience for deputation", the entry "Not Applicable"; and

(v) under the column "Age for Direct Recruit", the entry "Not Applicable" ---

shall be inserted;

(b) for the entry "Driver (Grade I)", the entry "Staff Car Driver (Grade-I)" shall be substituted and against the post "Staff Car Driver (Grade-I)" so substituted, ---

(i) under the column "Mode of Recruitment", for the entry "Promotion/Deputation/ Absorption/Direct Recruitment", the entry "Promotion";

(ii) under the column "Qualification & experience for Direct Recruit", for the entry "(i) 8th Pass, (ii) Possessing a valid driving licence for motor cars, (iii) Knowledge of motor mechanism (should be able to remove minor defects in vehicles), (iv) experience of driving of motor cars for twelve years.", the entry "Not Applicable";

(iii) under the column "Length of service for promotion", for the entry "Promotion from amongst the officials with nine years of regular service in the Driver Grade-II in the pay scale of Rs. 3,050-75-4,590.", the entry "Promotion from amongst the officials who have (i) completed either six years of regular service in the Staff Car Driver (Grade-II) in Pay Level – 4 of the Seventh Central Pay Commission or a combined service of fifteen years in Staff Car Driver (Grade-II) and Staff Car Driver (Ordinary Grade) and (ii) passed the trade test specified by the Government";

(iv) under the column "Qualification and experience for deputation", for the entry "Officials of the Central Government, Public Sector Undertakings and Statutory and Autonomous Bodies holding equivalent post or with nine years of regular service as Driver Grade-II who possess the following qualifications:- (i) Pass in 8th Standard (ii) possessing a valid driving licence for motor cars (iii) knowledge of motor mechanism (should be able to remove minor defects in vehicles)", the entry "Not Applicable"; and

(v) under the column "Age for Direct Recruit", for the entry "Not exceeding 45 years", the entry "Not Applicable"---

shall be substituted;

(c) for the entry "Driver (Grade II)", the entry "Staff Car Driver (Grade-II)" shall be substituted and against the post "Staff Car Driver (Grade-II)" so substituted, ---

(i) under the column "Mode of Recruitment", for the entry "Promotion/Deputation/ Absorption/Direct Recruitment", the entry "Promotion";

(ii) under the column "Qualification & experience for Direct Recruit", for the entry "(i) 8th Pass, (ii) Possessing a valid driving licence for motor cars, (iii) knowledge of motor mechanism (should be able to remove minor defects in vehicles), (iv) experience of driving of motor cars for three years.", the entry "Not Applicable";

(iii) under the column "Length of service for promotion", for the entry "Attendant who possesses the following– (i) pass in 8th Standard, (ii) possessing a valid driving licence for motor cars, (iii) knowledge of motor mechanism (should be able to remove minor defects in vehicles) and (iv) experience of driving of motor cars for three years.", the entry "Promotion from amongst the officials who have completed nine years of regular service in the Staff Car Driver (Ordinary Grade) in Pay Level – 2 of the Seventh Central Pay Commission and have passed the trade test specified by the Government";

(iv) under the column "Qualification and experience for deputation", for the entry "Officials of the Central Government, Public Sector Undertakings and Statutory and Autonomous Bodies holding equivalent post or with 9 years of regular service as Driver Grade-II who possesses the following qualifications:- (i) Pass in 8th Standard (ii) possessing a valid driving licence for motor cars (iii) knowledge of motor mechanism (should be able to remove minor defects in vehicles)", the entry "Not Applicable"; and

(v) under the column "Age for Direct Recruit", for the entry "Not exceeding 40 years", the entry "Not Applicable"---

shall be substituted;

(d) after the entry "Staff Car Driver (Grade-II)", the entry "Staff Car Driver (Ordinary Grade)" shall be inserted and against the post "Staff Car Driver (Ordinary Grade)" so inserted, ---

(i) under the column "Mode of Recruitment", the entry "Promotion/Deputation/ Absorption/Direct Recruitment";

(ii) under the column "Qualification & experience for Direct Recruit", the entry "(i) passed 8th standard, (ii) possessing a valid driving licence for motor cars, (iii) knowledge of motor mechanism

(should be able to remove minor defects in vehicles) and (iv) experience of driving a motor car for three years";

(iii) under the column "Length of service for promotion", the entry "Multi Tasking Staff who possesses the following – (i) passed 8th standard (ii) a valid driving licence for motor cars, (iii) knowledge of motor mechanism (should be able to remove minor defects in vehicles) and (iv) experience of driving a motor cars for three years";

(iv) under the column "Qualification and experience for deputation", the entry "Officials of the Central Government, Public Sector Undertakings and Statutory and Autonomous Bodies holding equivalent post or Multi Tasking Staff who possesses the following – (i) passed 8th standard (ii) a valid driving licence for motor cars, (iii) knowledge of motor mechanism (should be able to remove minor defects in vehicles) and (iv) experience of driving a motor car for three years"; and

(v) under the column "Age for Direct Recruit", the entry "Not exceeding forty years"---

shall be inserted;

(e) for the entry "Attendant", the entry "Multi Tasking Staff" shall be substituted.

5. In Schedule III to the principal regulations, under the column "Name of the post", ---

(a) in item 10, for the entry "Driver (Grade I) Driver (Grade II)", the entry "Staff Car Driver

(Special Grade) /Staff Car Driver (Grade-I)/Staff Car Driver (Grade-II)/Staff Car Driver (Ordinary Grade)" shall be substituted; and

(b) in item 11, for the entry "Attendant", the entry "Multi Tasking Staff" shall be substituted.

VANDANA SETHI, Advisor (Admn. & IR)

[ADVT.-III/4/Exty./710/2021-22]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide notification no. 5-4/2000 (A&L) dated 15th February, 2001, and amended vide the following notifications:

1. 1-6/2002-A&L dated 22nd January, 2004
2. 5-4/2000-A&L (Vol.I) dated 11th May, 2004
3. 5-4/2000-A&L (Vol.II) dated 17th June, 2004
4. 5-4/2000-A&P (Vol.II) dated 10th May, 2005
5. 5-4/2000-A&P (Vol.II) dated 26th May, 2006
6. 5-4/2000-A&P (Vol.II) dated 9th October, 2006
7. 5-4/2000-A&P dated 31st December, 2008
8. 5-4/2005-A&P dated 20th March, 2009
9. 5-4/2000-A&P dated 23rd April, 2010
10. 5-4/2000-A&P dated 14th July, 2010
11. 5-4/2000-A&P dated 8th June, 2016
12. 5-4/2000-A&P dated 27th July, 2017
13. 5-4/2000-A&P dated 21st May, 2020

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.03.25 16:56:11 +05'30'